खेजड़ी बचाने के लिए राजस्थान में कानून बनाएगी भजनलाल सरकार

मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में बनाई छह सदस्यीय कमेटी

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में राज्य वृक्ष "खेजड़ी" बचाने के लिए भजनलाल सरकार अब कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बाद "वृक्ष संरक्षण अधिनियम" का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कानून मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जो इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को सदस्य के तौर पर शामिल किया है। प्रमुख शासन सचिव विधि राघवेंद्र काछवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर विश्नोई और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुणाल विश्नोई को भी कमेटी में सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग को बनाया गया है। ऐसे में इसके शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव भी होंगे।

इस समिति की पहली बैठक सोमवार प्रातः संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमन्त मीणा, वन मंत्री संजय शर्मा सहित विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के शासन सचिव एवं विधि विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में "वृक्ष संरक्षण अधिनियम" का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति की प्रथम बैठक सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमन्त मीणा, वन मंत्री संजय शर्मा सहित विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के शासन सचिव एवं विधि विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

बताया जा रहा है कि यह समिति, अन्य राज्यों में लागू कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करके, अलग-अलग स्टेक होल्डर्स की राय और वृक्ष संरक्षण के संबंध में अलग-अलग न्यायिक निर्णयों और मौजूदा प्रावधानों का अध्ययन करके एक महीने में एक्ट का प्रारूप सरकार को देगी। उसके बाद सरकार इस प्रस्तावित कानून पर विधि विशेषज्ञों की राय के साथ आगे बढ़ेगी। सरकार के समिति गठित करने के साथ ही सोमवार को मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर पहली बैठक भी हुई।

बताया जा रहा है कि वर्तमान में केवल कृषि भूमि पर ही पेड़ों की कटाई की अनुमति का प्रावधान और अवैध पेड़ कटाई पर पेनल्टी का प्रावधान

- "वृक्ष संरक्षण अधिनियम" का ड्राफ्ट एक महीने में तैयार कर सौंपा जाएगा
- यह कमेटी अलग-अलग राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेगी

काश्तकारी कानून में है। अब सरकार नया कानून लाकर हर प्रकार की भूमियों जैसे- आवंटित, रूपांतरित, अधिग्रहीत और आबादी भूमियों अर्थात समस्त गैर कृषि उपयोग वाली भूमियों पर भी वृक्ष संरक्षण के लिए कठोर प्रावधान करेगी। गैर कृषि उपयोग की इन भूमियों पर प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर ही न्यूनतम आवश्यक पेड़ ही हटाए जा सकेंगे।

ज्ञात रहे कि बीकानेर और अन्य मरुस्थलीय जिलों में सौर ऊर्जा संयंत्रों (सोलर प्लांट्स) की स्थापना के लिए हजारों खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का आरोप लगाते हुए पर्यावरण प्रेमियों ने आंदोलन शुरू किया था। बीकानेर में विश्नोई धर्मशाला के पास 11 दिनों तक संतों और पर्यावरण प्रेमियों का महापडाव व अनशन चला था। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को सरकार के प्रतिनिधिमंडल और संतों के बीच हुई वार्ता के बाद राजस्व विभाग ने पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।

भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध दंड की मात्रा बढ़ाने का अनुमोदन

भजनलाल सरकार ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए एवं विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरण किए निस्तारित

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए एवं विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किया। शर्मा ने निजी व्यक्तियों के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से आदेश पारित कर अवैध लाभ पहुंचाने के आरोपों में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी।

इसके साथ ही, न्यायालय से दोषसिद्ध होने के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव को राज्य सेवा से पदच्युत किया गया तथा निरन्तर लंबी अनुपस्थिति के आधार पर एक अन्य अधिकारी को राजकीय सेवा से हटाया गया।

इसी प्रकार उन्होंने पद के दुरूपयोग, अनियमित भुगतान एवं राजकोष को हानि पहुंचाए जाने के आरोपों के तहत तत्कालीन विकास अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच एवं अनुसंधान का भी अनुमोदन किया।

मुख्यमंत्री ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध दो प्रकरणों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से दण्ड की मात्रा बढ़ाने का अनुमोदन किया। साथ ही, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध संचालित सीसीए नियम-16 में गंभीर आरोपों के 23 प्रकरणों में 27 अधिकारियों के विरूद्ध दो से चार वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित किया।

शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा अन्य 9 प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए राज्यपाल को प्रकरण अग्रेषित किए। वहीं, राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अपील के पांच प्रकरणों में से चार को खारिज करते हुए एक में दण्ड की मात्रा कम की गई। इसी तरह अभियोजन स्वीकृति के एक प्रकरण में विभागीय जांच के आदेश तथा दो में अभियोजन की मनाही करते हुए विभागीय जांच के तीन प्रकरणों में दोषमुक्ति का अनुमोदन भी किया गया।

प्रदेश में 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पैंशन दे रही है सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मजबूत हुआ सामाजिक सुरक्षा का कवच

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को निरंतर सुदृढ़ किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिला है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 में पेंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1150 रुपये किया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में इसे 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। जनवरी 2026 में इसे बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया गया और अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इस प्रकार विगत दो वर्षों में पेंशन राशि में 450 रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। इनमें वृद्धजन, विधवा एवं एकल नारी, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) तथा लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और दैनिक आवश्यकताओं की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

पूर्ति कर सकें। जनवरी 2026 की पेंशन के बिल भी तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं, जिससे जल्द ही यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली को अपनाया है। इसके तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जनाधार पंजीकृत बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनी है और लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि प्राप्त हो रही है।

राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरल और नागरिक-अनुकूल बनाया है। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस किया गया है। जनआधार आधारित सत्यापित डेटा के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिससे पात्र व्यक्ति स्वयं, मोबाइल ऐप या ई-

- बीते 2 साल में पैंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1450 रुपये प्रतिमाह हुई

मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

यह भजनलाल शर्मा की ही दूरदर्शी सोच है कि पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी निरंतर सरल बनाया गया है। लाभार्थी बायोमेट्रिक, प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप तथा ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पाता, तो संबंधित अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्वयं अथवा संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है।

बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदलने से कुछ लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से लंबित हो गई थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए हैं और अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेंशन पोर्टल पर बैंक वितरण संबंधी डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया पर भी कार्य किया गया है।

राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी बन सकेंगे पंच-सरपंच

"राजस्थान पंचायतीराज संशोधन विधेयक 2026" विधानसभा में पारित हुआ

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को पंचायतीराज चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता हटाने वाला "राजस्थान पंचायतीराज संशोधन विधेयक 2026" को बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में राजस्थान पंचायतीराज कानून की धारा 19 में संशोधन किया गया है।

जिसके तहत पंचायतीराज चुनाव लडने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों की बाध्यता के प्रावधान को हटा दिया है। अब वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के लिए बच्चों की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि पंचायतीराज संशोधन बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही पंचायतीराज चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता हटने का कानून लागू माना जाएगा।

ज्ञात रहे कि 31 साल पहले तत्कालीन भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता लागू की थी। इस प्रावधान को सोमवार को विधानसभा में बिल पारित कर खत्म कर दिया गया है। पंचायतीराज संशोधन बिल को 5 मार्च को विधानसभा में रखा गया था, जिसे बहस के बाद पारित कर दिया गया।

यह बिल पारित होने के बाद अब दो से ज्यादा बच्चों वाले नेताओं को राहत मिलेगी। अब तक जो नेता दो से ज्यादा बच्चों के कारण पंचायतीराज चुनाव नहीं लड़ पाते थे, अब बाध्यता हटने से आने वाले पंचायतीराज चुनावों में उनके लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रावधान के बाद पंचायतीराज चुनावों में नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे स्थानीय सियासी समीकरण भी प्रभावित होंगे।

इसी प्रकार शहरी निकाय चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने वाला बिल मंगलवार को सदन में पास होगा। शहरी निकायों के चुनाव लडने के लिए दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने के लिए राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल मंगलवार को बहस के बाद पारित करवाया जाएगा।

गांव से लेकर शहर तक का समग्र विकास सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सर्वे किया जाए, जिससे संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क, सीवरेज, शुद्ध पेयजल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं और नीतियों का केंद्र बिंदु है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सरसों-चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद राजफैड द्वारा रबी-2026 के अंतर्गत सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र शुरू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि राजफेड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मार्च से एवं खरीद 25 मार्च से शुरू होगी। जबकि, शेष चार क्षेत्रीय कार्यालयों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर नें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च एवं खरीद 1 अप्रेल से शुरू होगी।

- राजफैड के कोटा, अजमेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालयों में 15 मार्च से रजिस्ट्रेशन, 25 मार्च से खरीद होगी

दक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल एवं चना का समर्थन मूल्य 5,875 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन एवं चना की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिलेवार सीमा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में एनसीसीएफ द्वारा एवं जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर एवं भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों में नेफेड द्वारा खरीद कार्य करवाया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरसों एवं चना विक्रय के इच्छुक किसान स्वयं क्यूआर कोड स्कैन कर अथवा ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकेंगे। समर्थन मूल्य पर ख़रीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर ख़रीद 60 दिवस की अवधि में की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने राजफेड को निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाए।सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसान पूर्व की भांति एफएक्यू गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप अपनी फसल क्षेत्र की क्रय-विक्रय अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति केन्द्र पर विक्रय कर सकेंगे। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए राजफेड में कॉल सेन्टर 18001806001 स्थापित किया गया है।

दुष्कर्मी गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में 17 वर्षीय युवती का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि परिचित आरोपी 17 वर्षीय युवती को बहला- फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। जिसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को पांच दिन तक बंधंक बना उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मेडिकल के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की। लेकिन आरोपी बार -बार पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने रविवार देर शाम तकनीकी सहायता के आधार पर उसे पोक्सो एक्ट के तहत ग्रामीण इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

मुद्दाविहीन विपक्ष अनर्गल बयानबाजी कर रहा : मदन राठौड़

जयपुर (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में विपक्ष पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है और अनर्गल बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के बजाय बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है।

राठौड़ ने कहा कि विपक्ष रचनात्मक चर्चा के बजाय सदन के बाहर और विदेशों में जाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो जिम्मेदार विपक्ष के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में विकसित भारत 2047 का स्पष्ट रोडमैप दिया गया है, जिसमें रेलवे के आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, सड़कों के विस्तार, डिजिटल आधारभूत ढांचे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन वर्तमान विपक्ष केवल नकारात्मक टिप्पणियों और भ्रामक खबरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विपक्ष का मुख्य एजेंडा सदन को चलने नहीं देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को बाधित करना है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर भारत का सशक्त नेतृत्व कर रहे हैं और विश्व समुदाय से युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान की अपील कर रहे हैं। भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के साथ विश्व को शांति का संदेश दे रहा है।

अजमेर को 38 वर्ष बाद दूसरा राजकीय विश्वविद्यालय मिला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया स्पीकर वासुदेव देवनानी का सपना साकार

जयपुर (विसं)। विधानसभा में सोमवार को राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को 38 वर्ष बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दूसरा राजकीय विश्वविद्यालय

- राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक-2026 सदन में ध्वनिमत से पारित

मिला है और इसकी स्थापना से उनका एक सपना साकार हुआ है।

सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद उपमुख्यमंत्री एवं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार पारम्परिक चिकित्सा पद्धितयों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अजमेर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे स्वस्थ राजस्थान से समृद्ध राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। इसकी स्थापना से उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में

नई संभावनाएं विकसित होंगी और यह विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान का केंद्र बनेगा। विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धितयों को बढ़ावा मिलेगा और इनसे जुड़े नवाचारों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, संकाय बोर्ड, अध्ययन, वित्त एवं लेखा समिति, अनुसंधान, खेल एवं छात्र कल्याण तथा नवाचार बोर्ड का गठन किया जाएगा। कुलाधिपति द्वारा कुलगुरु की नियुक्ति के बाद प्रबंध बोर्ड का गठन होगा।

विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड के अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अन्य विषयों में भी अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की भूमि में से 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

सरकार का मानना है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से अजमेर सहित पूरे प्रदेश में पारम्परिक चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी।

राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक

समारोह को जन सहभागिता से भव्य व गौरवमय बनाएं : वी. श्रीनिवास

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को शासन सचिवालय में बैठक ली। राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ 15 मार्च को होगा। समारोह के तहत प्रदेशभर में 15 से 19 मार्च तक विकसित राजस्थान रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज सहित विविध कार्यक्रम होंगे। 18 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाआरती करेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आमजन के साथ ही सभी विभागों की भागीदारी के साथ समारोह को भव्य बनाने के निर्देश दिये। राजस्थान दिवस समारोह के तहत जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 मार्च को राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन का फ्लैग ऑफ किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान दिवस के अवसर पर सभी राजकीय कार्यालय एवं भवन भी रोशनी से जगमगायेंगे। मुख्य समारोह 19 मार्च को जालौर में होगा।समारोह का औपचारिक शुभारंभ 15 मार्च को राजस्थान को जाने क्विज के साथ होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निबंध, भाषण एवं चित्रकारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी। जयपुर में राज्य स्तरीय एवं समस्त जिलों में जिला स्तरीय ओ.डी.ओ.पी. मेले व

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक ली।

प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा।

16 मार्च को बेणेश्वर धाम, बांसवाड़ा में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जायेगा, जहां जनसभा एवं प्रतिनिधिगणों के साथ संवाद, विकास कार्यों का शिलान्यास एवं जनजातीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा।

17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया जायेगा, जहां जयपुर में राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में रोजगार मेले, विकास कार्यों का शिलान्यास किया जायेगा। साथ ही, इस दिन सभी जिलों में राजस्थान को जाने क्विज का आयोजन होगा। इसी दिन सायं 5 बजे उद्योग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्योगपतियों के साथ संवाद एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए एम्पलॉयमेंट लेटर हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित होगा।

18 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा महाआरती के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की जायेगी। साथ ही, जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्य भर में देवस्थान विभाग के मंदिरों में आरती व पूजा कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसी दिन किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, भरतपुर में किसान एवं पशुपालक जनसभा में किसान एवं पशुपालक संवाद और विभिन्न कार्यों का शिलान्यास होगा।

19 मार्च को राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह जालोर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जहां लाभार्थियों के साथ संवाद एवं लाभ हस्तांतरण किया जायेगा।राजस्थान दिवस मुख्य समारोह के अंतर्गत जयपुर में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। साथ ही, सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ किया जायेगा। मुख्य सचिव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य एवं यादगार बनाने के

- प्रदेशभर में 15 से 19 मार्च तक जनजातीय गौरव दिवस, युवा शक्ति दिवस, विकसित राजस्थान रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा

निर्देश दिये जिससे कि आमजन विशेषकर युवाओं का परिचय प्रदेश की समृद्ध लोकसंगीत, नृत्य कला से हो सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल एवं उद्यिमता संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण आनन्द कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास कुंजी लाल मीणा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री संदेश नायक आदि उपस्थित रहे। बैठक में सभी संभागीय आयुक्त एवं सभी जिलों के कलेक्टर भी वीसी के माध्यम से जुड़े।